(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित** )

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**जी. संख्या 85** **नई दिल्ली**, 29 मई, 2009

## अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास में चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लि0, (सीआईटीपीएल) के प्रचालनों के लिए अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था अनुमोदित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

# महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## मामला सं. टीएएमपी/10/2009–सीआईटीपीएल

चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्रा0 लि0 ––––––––– आवेदक

## आदेश

(मई, 2009 के 15वें दिन पारित)

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) ने 30 वर्षो की लाइसेंस अवधि के लिए निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से दूसरे कंटेनर टर्मिनल में मौजूदा सुविधाओं के परिवर्तन के लिए चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) के साथ एक रियायत करार (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सीआईटीपीएल ने सीएचपीटी में अपने कंटेनर टर्मिनल के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव दिनांक 5 मार्च 2009 दाखिल किया है जिसपर एक पृथक प्रशुल्क मामले के रूप में कार्यवाही की जा रही है।

2. सीआईटीपीएल का प्रस्ताव निम्नलिखित है:

(i). चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) में प्रचलित मौजूदा प्रशुल्क 1 मई 2009 से प्रचालनों को शुरू करने के लिए अंतरिम प्रशुल्क के रूप में सीआईटीपीएल को दिया जाए।

(ii). उसके बाद, इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क निर्धारण की कार्यवाही के बाद स्वीकार किए जाने वाले सीआईटीपीएल के पूर्वानुमानों के आधार पर अंतिम प्रशुल्क।

3.1. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, सीआईटीपीएल प्रस्ताव सीएचपीटी और संबद्ध उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। कुछ उपयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां सीआईटीपीएल को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं।

3.2. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा से प्रकट हुए विभिन्न मुद्‌दों के बारे में सीआईटीपीएल और सीएचपीटी को बताया गया था। उन्होंने यातायात पूर्वानुमान, निवेश की उपयुक्तता और औचित्य, कुछ लागत मदों की उपयुक्तता आदि को शामिल किया है। सीआईटीपीएल ने अपेक्षित सूचना भेजते हुए प्रतिसाद दिया है जोकि संवीक्षाधीन है। सीएचपीटी का प्रतिसाद अभी प्रतीक्षित है। तथापि, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2009 द्वारा सुझाव दिया है कि सीआईटीपीएल प्रारंभिक तौर पर तब तक सीसीटीएल के लिए अनुमोदित प्रचलित प्रशुल्क का अनुसरण करे जब तक सीआईटीपीएल के लिए प्रशुल्क को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

4. मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशा–निर्देशों के खंड 2.12 के अनुसार, जब किसी पत्तन न्यास द्वारा नई सुविधा शुरू की जाती है अथवा मौजूदा सुविधाओं को निजीकृत किया जाता है तो स्वीकार किया जाने वाला प्रारंभिक प्रशुल्क तुलनीय सुविधाओं के लिए समान पत्तन पर मौजूदा प्रशुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि पत्तन न्यास के मौजूदा प्रशुल्क को अंगीकृत करने में प्रचालक को मुश्किल होती है तो उसे ठीक व्यावसायिक प्रचालनों के शुरू होने से पृथक लागत आधारित प्रशुल्क की अनुमति प्रदान की जाए। इस स्थिति के बावजूद, सीसीटीएल में प्रचलित मौजूदा प्रशुल्क के अंगीकरण से नुकसान होगा, जैसाकि प्रचालक द्वारा बताया गया है, सीआईटीपीएल ने प्रस्तावित किया है कि सीआईटीपीएल में प्रचालनों के लिए प्रारंभिक प्रशुल्क के रूप में सीसीटीएल में प्रचालित मौजूदा प्रशुल्क की वसूली करने की अनुमति दी जाए।

5. जैसाकि पहले बताया गया है, संदर्भित मामले पर परामर्श प्रक्रिया जारी है और इसे संयुक्त सुनवाई निर्धारित करने के बाद अंतिम विचार के लिए रखा जाएगा। चूंकि टर्मिनल प्रचालक ने मई, 2009 के तीसरे सप्ताह में व्यावसायिक प्रचालन आंशिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जैसाकि उनके पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2009 द्वारा हमें संप्रेषित किया गया है, और स्वीकार करते हुए कि लाइसेंसदाता को सीसीटीएल के मौजूदा दरमान को अंगीकृत करने के लिए सीआईटीपीएल को अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इस प्राधिकरण ने 30 जून, 2009 तक की अवधि के लिए अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था

के रूप में सीसीटीएल के मौजूदा दरमान में प्रचलित स्तर पर प्रशुल्क वसूली के सीआईटीपीएल के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है।



6. सावधानी के उपाय के तौर पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीआईटीपीएल को सीसीटीएल के मौजूदा दरमान के स्तर पर प्रशुल्क वसूल करने की अनुमति प्रदान करना सीएचपीटी को सीआईटीपीएल द्वारा देय रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा के पास–थ्रू का संयोगिक अनुमोदन प्रदान करना नहीं माना जाएगा। यह नोट किया जाए कि सीएचपीटी के साथ सीआईटीपीएल द्वारा हस्ताक्षरित लाइसेंस क़रार में सीआईटीपीएल के प्रशुल्क के परिकलन में राजस्व हिस्से अस्वीकार्यता संबंधी विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया है।

7. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण सीआईटीपीएल के लिए सीएचपीटी में इसके कंटेनर टर्मिनल के लिए अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था के रूप में दरमान अनुमोदित करता है जिसे **अनुलग्नक – I** रूप में संलग्न किया गया है।

8. यह अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था तत्काल प्रभावी होगी और 30 जून, 2009 तक वैध रहेगी।

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष

<u>अनुबंध</u>

## चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड
## दरों का मान (अंतरिम)

**<u>प्राक्कथन</u>**

इस दरों के मान में चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड में प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं के लिए चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड को देय प्रभार निर्धारित किए गए हैं ।

1. **<u>परिभाषाएं</u>**

इस दरों के मान में जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :-

1.1. 'सीआईटीपीएल' का अर्थ भारत में निगमित कंपनी, चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती हैं ।

1.2. 'तटीय पोत' का अभिप्राय किसी ऐसे पोत से होगा, जो भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में स्थित किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में संलग्न है और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस है ।

1.3. 'कंटेनर' का अर्थ परिवहन के लिए उपयुक्त और कार्गो को चट्टे पर रखने के लिए मानक आईएसओ कंटेनर है और वह एक इकाई के रूप में प्रहस्तन किए जाने और कंटेनर स्प्रेडर से क्रेन द्वारा उठाए जाने के लिए सक्षम होना चाहिए।

1.4. 'एफसीएल' का अर्थ पूर्ण कंटेनर भार वाला कंटेनर होगा ।

1.5. 'विदेशगामी पोत' का अभिप्राय तटीय पोत से भिन्न किसी अन्य पोत के लिए होगा ।

1.6. 'खतरनाक कंटेनर' का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जिसमें आईएमओ के अधीन वर्गीकृत के अनुसार खतरनाक वस्तुएं हैं।

1.7. 'आईसीडी' का अर्थ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है ।

1.8. 'एलसीएल' का अर्थ पूर्ण कंटेनर भार से कम भार वाला कंटेनर (एक से अधिक आयातक के कार्गो वाला कंटेनर) है ।

1.9. 'सामान्य आकार से बड़े कंटेनर (ओडीसी)' का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जो मानक कंटेनर के सामान्य आकार से बड़े आकार वाले कार्गो की ढुलाई कर रहा है और जिसके लिए स्लिंग्स, शैकल्स, लिफ्टिंग बीम इत्यादि जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है । क्षतिग्रस्त कंटेनर (कोने की कास्टिंग की समस्या वाले बॉक्स सहित) और लिफ्टिंग के लिए विशेष उपकरणों की अपेक्षा वाले कंटेनरों को भी सामान्य आकार से बड़े कंटेनरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.10. 'प्रति दिन' का अर्थ प्रति कैलेंडर दिन अथवा उसका भाग है ।

1.11. 'रीफर' का अर्थ माल की ढुलाई के प्रयोजनार्थ कोई कंटेनर है, जिसे वांछित तापक्रम बनाए रखने के लिए विद्युत आपूर्ति अपेक्षित होती है ।

1.12. 'पत्तन' का अर्थ चेन्नई पत्तन न्यास है ।

1.13. 'शट-आउट कंटेनर' का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जिसने वीआईएएन द्वारा यथा इंगित किसी पोत हेतु निर्यात के लिए टर्मिनल में प्रवेश किया है और चाहे किसी भी कारण से पोत से जुड़ा हुआ नहीं है ।

1.14. 'टन' का अर्थ एक मीट्रिक टन अथवा 1,000 किलोग्राम या एक घनमीटर है ।

1.15. 'पोतांतरण कंटेनर' का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जो एक पोत से उतारा गया है, सीआईटीपीएल में रखा गया और अन्य पोत के द्वारा ढुलाई किया गया है ।

1.16. 'वीआईएएन' का अर्थ पोत पहचान सूचना संख्या है ।

1.17. 'धूम्रीकरण सुविधा' का अर्थ उन कार्गो, जो कीटों द्वारा प्रभावित होने वाले हैं और जिन्हें धूम्रीकरण और गैस निकालकर अथवा दोनों द्वारा विसंदूषण के लिए कीटनाशकों की अपेक्षा है, का विसंदूषीकरण सुविधाजनक बनाना है ।

1.18. 'मान्यताप्राप्त ग्राहक कार्यक्रम' का अभिप्राय एक ऐसे कार्यक्रम से है, जोकि सीमाशुल्क विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसके द्वारा विभाग में 'मान्यताप्राप्त ग्राहक' के रूप में पंजीकृत आयातकों की एक अलग श्रेणी बनाई जाएगी, जिसे सुनिश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । आरएमएस द्वारा याद्च्छिक आधार पर चयनित परेषणों के अल्प प्रतिशत अथवा जिन मामलों में विशिष्ट आसूचना उपलब्ध हो अथवा जहां पर अनुपालनहीनता के देखे गए विशिष्ट पैटर्न का समाधान किया जाना हो, को छोड़कर मान्यताप्राप्त ग्राहकों को स्व-निर्धारण के आधार पर, अर्थात स्वाभाविक तौर पर उनकी घोषणा के आधार पर माल की जांच किए बिना अनुमति प्रदान की जाएगी । इसके अलावा, देश में सभी पत्तनों पर, जहां ईडीआई और आरएमएस प्रचालनरत हैं, पंजीकृत मान्यताप्राप्त ग्राहकों को यह लाभ उपलब्ध होगा ।

सीमाशुल्क विभाग को आशा है कि इस उपाय से कार्गो के रूकने के समय और ऐसे आयातकों के लेनदेन की लागत में कमी आएगी । सीमाशुल्क गृह मान्यताप्राप्त ग्राहकों को सीमाशुल्क अनुमति सेवा प्रदान करने के लिए अलग से सुविधा/काऊंटर स्थापित कर सकते हैं । सीमाशुल्क आयुक्त अलग भंडारण स्थल, प्रहस्तन सुविधा स्थापित करने और इन ग्राहकों के लिए अनुमति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए कस्टोडियन के साथ मिलकर कार्य करेंगे । इसके अलावा, आईएमजी ने विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त आयातकों को कार्गो की तत्काल सुपुर्दगी हेतु पत्तन परिसर में स्पष्टतया निर्धारित अलग क्षेत्र स्थापित करके तीव्र सुपुर्दगी प्रणाली की सिफारिश की है । इस कार्यक्रम की विस्तृत व्याख्या सीमाशुल्क के दिनांक 24 नवम्बर,2005 के परिपत्र सं० 42/2005-सीमाशुल्क में दी गई है ।

2. <u>सामान्य :</u>

2.1. लंबाई में 20 फुट तक अथवा उससे कम के कंटेनरों को प्रशुल्क के प्रयोजनार्थ एक टीईयू माना जाता है ।

2.2. विशेष उपकरण/स्लिंग/प्रहस्तन की अपेक्षा वाले मानक आकार से भिन्न के कंटेनरों पर नीचे खंड 3.5 के अनुसार प्रभार लगेगा । ऐसे कंटेनरों में क्षतिग्रस्त कंटेनर और विशेष उपकरणों की अपेक्षा वाले अन्य किसी किस्म के कंटेनर भी शामिल होंगे ।

2.3. अमरीकी डॉलर के रूप में मूल्यवर्गित कंटेनर-संबद्ध प्रभार समतुल्य भारतीय रुपए में संग्रहित किए जाएंगे । इस प्रयोजनार्थ, पत्तन की सीमाओं में पोत के प्रवेश की तारीख (आयात कंटेनरों के मामले में) और टर्मिनल के परिसर में कंटेनरों (निर्यात कंटेनरों के मामले में) के आगमन की तारीख को विद्यमान समय-समय पर निर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहायक बैंक या अन्य किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिसूचित बाजार क्रय दर का डालर-मूल्यवर्गित प्रभारों का भारतीय रुपए में पुनः परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

2.4. प्रत्येक बिल के कुल योग पर निकाले गए सभी प्रभारों को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

2.5. सभी बीजक प्रस्तुतिकरण पर यथा देय जारी किए जाते हैं । भुगतान करने में विफलता टर्मिनल में प्रहस्तन की सामग्रियों पर पुनर्ग्रहणाधिकार का कारण बन सकती है और उत्तरदायी पार्टी को सभी बकाया प्रभारों का भुगतान करने तक टर्मिनल का और प्रयोग करना नकार दिया जाएगा ।

2.6 (i) प्रयोक्ता इस दरों के मान के अधीन किसी प्रकार के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा । इसी प्रकार, सीआईटीपीएल विलंबित वापसी पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा ।

(ii) दंडात्मक ब्याज की दर प्रति वर्ष 14.25% होगी । चुनी गई दंडात्मक दर सीआईटीपीएल और पत्तन प्रयोक्ताओं, दोनों पर समान रूप से लागू होगी ।

(iii) वापसियों में विलंब सेवाएं पूरी करने की तारीख से केवल 20 दिनों के बाद अथवा प्रयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, इनमें से जो भी बाद में हो, से गिना जाएगा ।

(iv) प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान में विलंब सीआईटीपीएल द्वारा बिल देने की तारीख से 10 दिनों के बाद से गिना जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों, जहां महापत्तन न्यास अधिनियम में यथानिर्दिष्ट सेवाएं प्राप्त करने के पूर्व भुगतान किया जाना है और/अथवा जहां इस दरों के मान में प्रभारों का अग्रिम भुगतान निर्धारित है, में लागू नहीं होगा ।

2.7. (i) भारतीय ध्वज वाला विदेशगामी पोत, जिसके पास सामान्य व्यापार लाइसेंस है, सीमाशुल्क परिवर्तनआदेश के आधार पर तटीय पोत में परिवर्तित हो सकता है ।

(ii) विदेशी ध्वज वाला विदेशगामी पोत महानिदेशक नौवहन द्वारा जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय पोत

के रूप में परिवर्तन कर सकता है ।

(iii) ऐसे परिवर्तन के मामलों में लदान करने वाले पत्तन द्वारा पोत के तटीय सामग्रियों का लदान प्रारंभ करने के समय से तटीय दरें वसूल की जाएंगी ।

(iv) ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दरें केवल तब तक प्रभार्य होंगी, जब तक पोत तटीय कार्गो का उतराई प्रचालन पूरा करता है, उसके तत्काल बाद विदेशगामी दरें उतराई पत्तन द्वारा वसूल की जाएंगी ।

(v) महानिदेशक, नौवहन से प्राप्त तटीय लाइसेंस वाले समर्पित भारतीय तटीय पोतों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी ।

2.8. इकाई भार के रूप में सीआईटीपीएल में आने और वहां से जा रहे एलसीएल कंटेनर को प्रभार लगाने के प्रयोजनार्थ एफसीएल माना जाएगा ।

2.9. प्रयोक्ता से सीआईटीपीएल पर आरोप्य किसी उचित सीमा के बाद विलंब के लिए प्रभार अदा करना अपेक्षित नहीं होगा ।

2.10. अगर कोई पोत खराबी अथवा सीआईटीपीएल की तट आधारित सुविधाओं की अनुपलब्धता या सीआईटीपीएल पर आरोप्य किसी अन्य कारण से निष्क्रिय रहता है तो पोत के निष्क्रिय होने की अवधि के दौरान उपार्जित चेन्नई पत्तन न्यास को देय बर्थ किराया प्रभार के समतुल्य छूट की अनुमति सीआईटीपीएल द्वारा दी जाएगी ।

2.11. यदि कोई टर्मिनल प्रयोक्ता सीआईटीपीएल की पूर्वानुमति से पोत में सभी कंटेनरों को बांधने के प्रचालनों के लिए बांधने/खोलने वाले गैंग उपलब्ध कराता है, तब खंड 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 और 3.4 में निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में 33/-रुपए प्रति कंटेनर की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि टर्मिनल प्रयोक्ता सुरक्षा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हो ।

## 3. कंटेनर प्रचालनों के लिए प्रभार

**3.1. एफसीएल आयात और निर्यात कंटेनरों तथा खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार ।**

**3.1.1. बांधने/खोलने सहित घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन प्रभार**

| | विदेशगामी पोत<br>अमरीकी डॉलर | तटीय पोत<br>रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति एफसीएल कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 22.53 | 567.76 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 33.78 | 851.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 45.05 | 1135.26 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 22.53 | 567.76 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 33.78 | 851.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 45.05 | 1135.26 |

सेवाओं में घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन और बांधने/खोलने के कार्य शामिल हैं ।

**3.1.2. घाट क्रेन से यार्ड और विलोमतः ढुलाई**

| | विदेशगामी पोत<br>रुपए | तटीय पोत<br>रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति एफसीएल कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 641.91 | 385.15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 962.83 | 577.70 |
| - | लंबाई में 40' फुट से अधिक | 1283.81 | 770.29 |

**प्रति खाली कंटेनर**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 317.90 | 190.74 |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 476.85 | 286.11 |
| - | लंबाई में 40' फुट से अधिक | 635.80 | 381.48 |

सेवाओं में घाट के तट से और वहां तक ढुलाई शामिल है ।

3.1.3. **(क). कंटेनर यार्ड में आंतरिक स्थानांतरण वाहन पर/से उठाना/उतारना**

| | | विदेशगामी पोत रूपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|---|
| **प्रति एफसीएल कंटेनर** | | | |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 354.73 | 212.84 |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 532.10 | 319.26 |
| - | लंबाई में 40' फुट से अधिक | 709.44 | 425.66 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | | |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 175.67 | 105.40 |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 263.50 | 158.10 |
| - | लंबाई में 40' फुट से अधिक | 351.34 | 210.80 |

नोट- सेवाओं में भंडारण के लिए कंटेनर यार्ड में लिफटस शामिल हैं।

**3.1.3** **(ख). उठाने/उतारने, ग्राहकों को/से सुपुर्दगी/प्राप्ति सहित कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन**

| | | विदेशगामी पोत रूपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|---|
| **प्रति एफसीएल कंटेनर** | | | |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 354.73 | 354.73 |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 532.10 | 532.10 |
| - | लंबाई में 40' फुट से अधिक | 709.44 | 709.44 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | | |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 175.67 | 175.67 |
| - | लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 263.50 | 263.50 |
| - | लंबाई में 40' फुट से अधिक | 351.34 | 351.34 |

नोटः सेवाओं में भंडारण के लिए और ग्राहक के वाहन से/तक कंटेनर की उतराई अथवा लदान के लिए कंटेनर यार्ड में उठाना शामिल है ।

3.2. **एलसीएल आयात और निर्यात कंटेनर का प्रहस्तन करने के लिए प्रभार**

3.2.1. **बांधने/खोलने सहित घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन का प्रभार**

| विदेशगामी पोत अमरीकी डॉलर | तटीय पोत रुपए |
|---|---|

**प्रति एलसीएल कंटेनर**

| | | |
|---|---|---|
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 22.53 | 567.76 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 33.78 | 851.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 45.05 | 1135.26 |

सेवाओं में घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन और बांधने/खोलने के कार्य शामिल हैं ।

3.2.2. (क). **क्यूसी से कंटेनर यार्ड और विलोमतः कंटेनर का परिवहन**

| | विदेशगामी पोत रुपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति एलसीएल कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 609.84 | 365.90 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 914.70 | 548.82 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 1219.62 | 731.77 |

नोटः सेवाओं में घाट से यार्ड और विलोमतः परिवहन शामिल है।

**3.2.2. (ख). कंटेनर यार्ड में आंतरिक स्थानांतरण वाहन पर/से उठाना/उतारना**

| | विदेशगामी पोत रुपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति एलसीएल कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 354.73 | 212.84 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 532.10 | 319.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 709.44 | 425.66 |

नोटः सेवाओं में भंडारण के लिए कंटेनर यार्ड में लिफटस शामिल हैं।

**3.2.2 (ग). उठाने/उतारने, ग्राहकों को/से सुपुर्दगी/प्राप्ति सहित कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन**

| | विदेशगामी पोत रुपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति एलसीएल कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 354.73 | 354.73 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 532.10 | 532.10 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 709.44 | 709.44 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 175.67 | 175.67 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 263.50 | 263.50 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 351.34 | 351.34 |

नोटः सेवाओं में भंडारण के लिए और ग्राहक के वाहन से/तक कंटेनर की उतराई अथवा लदान के लिए कंटेनर यार्ड में उठाना शामिल है ।

3.3. **आईसीडी आयात और निर्यात कंटेनर प्रहस्तन करने के लिए प्रभार**

3.3.1. **बांधने/खोलने सहित घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन प्रभार**

| | विदेशगामी पोत | तटीय पोत |
|---|---|---|

| | अमरीकी डॉलर | रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति भरा हुआ कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 22.53 | 567.76 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 33.78 | 851.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 45.05 | 1135.26 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 22.53 | 567.76 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 33.78 | 851.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 45.05 | 1135.26 |

सेवाओं में घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन और बांधने/खोलने के कार्य शामिल हैं ।

3.3.2. **घाट क्रेन से कंटेनर रेल यार्ड तक और विलोमतः ढुलाई**

| | विदेशगामी पोत रुपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति भरा हुआ कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 609.84 | 365.90 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 914.71 | 548.83 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 1219.63 | 731.78 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 302.01 | 181.21 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 452.98 | 271.79 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 604.01 | 362.41 |

सेवाओं में कंटेनर रेल यार्ड तक ढुलाई, पोत और यार्ड पर कर्षण योजना बनाना, आंकड़ा प्रहस्तन, प्रसंस्करण और पोत, सीआईटीपीएल और शिपिंग लाइन के बीच अंतरण शामिल हैं ।

3.3.3. **(क). कंटेनर यार्ड में आंतरिक स्थानांतरण वाहन पर/से उठाना/उतारना**

| | विदेशगामी पोत रुपए | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति भरा हुआ कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 354.73 | 212.84 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 532.10 | 319.26 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 709.44 | 425.66 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 175.67 | 105.40 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 263.50 | 158.10 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 351.34 | 210.80 |

नोटः सेवाओं में भंडारण के लिए कंटेनर यार्ड में लिफटस शामिल हैं।

**3.3.3. (ख). रेल के लिए सुपुर्दगी देते समय कंटेनर रेल यार्ड में उठाना/रखना प्रहस्तन**

**विदेशगामी पोत** **तटीयपोत**

| | | |
|---|---|---|
| **प्रति भरा हुआ कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 354.73 | 354.73 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 532.10 | 532.10 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 709.44 | 709.44 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 175.67 | 175.67 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 263.50 | 263.50 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 351.34 | 351.34 |

**नोटः** सेवाओं में कंटेनर रेल यार्ड में उठाना, आंकड़ा प्रहस्तन, प्रसंस्करण और पोत, सीआईटीपीएल और शिपिंग लाइन के बीच अंतरण शामिल हैं ।

3.4. **घाट के किनारे पर पोत पर जहाजी कुलियों द्वारा प्रहस्तन सहित पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार, बांधने/खोलने का प्रभार**

| | विदेशगामी पोत<br>अमरीकी डॉलर | तटीय पोत<br>रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति भरा हुआ कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 27.02 | 680.90 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 40.54 | 1021.61 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 54.05 | 1362.06 |
| **प्रति खाली कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 27.02 | 680.90 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 40.54 | 1021.61 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 54.05 | 1362.06 |

सेवाओं में घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन (उतराई और लदान), ढुलाई और उठाना, पोत और यार्ड में कर्षण की आयोजना, आंकड़ा प्रहस्तन, प्रसंस्करण और पोत, सीआईटीपीएल और शिपिंग लाइन के बीच अंतरण शामिल हैं ।

टिप्पणीः- (i) सीएफएस, आईसीडी में भेजे अथवा स्थानीय रूप से सुपुर्दगी लिए गए पोतांतरण कंटेनर पर स्थानीय कंटेनर दर प्रभारित होगी ।

(ii) खंड 3.10 के अनुसार शटआऊट प्रभार लागू होगा, अगर

(क) पोत का नामांकन परिवर्तित किया जाता है; अथवा

(ख) अगर पोत का नामांकन पूर्व पोत को बर्थ में लगाने के बाद परवर्ती पोत से पूर्व पोत में परिवर्तित किया जाता है।

3.5. **खतरनाक कार्गो कंटेनरों/सामान्य आकार से बड़े कार्गो कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार**

कंटेनरों की संबंधित श्रेणियों के लिए ऊपर निर्धारित लागू प्रहस्तन प्रभारों से 25% अधिक का प्रीमियम लगाया जाएगा।

3.6. **घाटशुल्क के लिए प्रभार**

| | विदेशगामी पोत<br>अमरीकी डॉलर | तटीय पोत<br>रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति कंटेनर (केवल बॉक्स)** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 1.29 | 32.51 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 1.94 | 48.89 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 2.57 | 64.76 |

| प्रति कंटेनरयुक्त कार्गो | रुपए | रुपए |
|---|---|---|
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 707.85 | 424.71 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 1061.78 | 637.07 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 1415.70 | 849.42 |

टिप्पणी :-

(i) सभी मामलों में कंटेनरयुक्त कार्गो के लिए प्रभार रुपए के रूप में होगा ।

(ii) 'विदेश से आगमन' और 'विदेश को प्रस्थान' के मामले में कंटेनरों के लिए प्रभार डॉलर के रूप में होगा ।

(iii) 'तटीय आगमन' और 'तटीय प्रस्थान' के मामले में कंटेनरों के लिए प्रभार रुपए के रूप में होगा ।

(iv) आईसीडी, पोतांतरण, एलसीएल और एफसीएल तथा खाली कंटेनरों सहित सभी कंटेनरों के लिए घाटशुल्क प्रभारित किया जाएगा।

3.7. **एक प्रचालन के लिए जहाज के हैच कवर के प्रहस्तन के लिए प्रभार (खोलना और बंद करना दोनों)**

| | **विदेशगामी पोत अमरीकी डॉलर** | **तटीय पोत रुपए** |
|---|---|---|
| घाट पर जहाज के हैच कवर को उतारे बिना | 18.02 | 454.10 |
| घाट पर हैच कवर उतार कर | 45.05 | 1135.26 |

टिप्पणीः अगर केवल एक कार्यकलाप अर्थात या तो खोलना अथवा बंद करना है तो दर का आधा प्रभार्य होगा ।

3.8. **पोत के भीतर कंटेनरों के अंतरण (रेस्टॉव) के लिए प्रभार**

| | **विदेशगामी पोत अमरीकी डॉलर** | **तटीय पोत रुपए** |
|---|---|---|
| **प्रति कंटेनर हैच के भीतर (उतारे और पुनःपोतलदान किए बिना)** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 10.95 | 275.94 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 16.41 | 413.53 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 21.88 | 551.38 |
| **प्रति कंटेनर घाट से होकर (घाट पर उतार कर अंतरित और पुनः पोतलदान)** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 32.18 | 810.94 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 48.27 | 1216.40 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 64.35 | 1621.62 |

टिप्पणीः रेस्टॉव कंटेनर और कंटेनरबंद कार्गो पर कोई घाटशुल्क नहीं लगाया जाएगा ।

3.9. **रीफर संबद्ध और अन्य सामान्य सेवाएं**

| | | **विदेशगामी पोत अमरीकी डॉलर** | **तटीय पोत रुपए** |
|---|---|---|---|
| (क) | भ्रमण-पूर्व निरीक्षण (विद्युत की आपूर्ति सहित) | 33.00 | 831.60 |
| (ख) | किसी पोत पर कनेक्शन लगाने अथवा कनेक्शन हटाने की सेवाएं | 2.20 | 55.44 |
| (ग) | कंटेनर की सफाई | | |
| | - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 1.65 | 41.58 |
| | - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 3.30 | 83.16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 4.95 | 124.74 |
| (घ) | प्रति कंटेनर प्रति 4 घंटे की पाली अथवा उसके भाग के लिए विद्युत की आपूर्ति (कनेक्शन लगाने और कनेक्शन हटाने, रीफर यार्ड में तापक्रम की मानीटरिंग) | | |
| | - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 3.54 | 89.21 |
| | - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 5.31 | 133.81 |
| | - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 7.08 | 178.42 |

टिप्पणीः (i) उपरोक्त प्रशुल्क में पैरामीटर सेट करने अथवा रीफर के सही कार्य नहीं करने के लिए मरम्मत और अनुरक्षण शामिल नहीं है । उपरोक्त प्रभार रीफर कंटेनरों के रेस्टॉव पर भी लागू है ।

(ii) रीफर कंटेनर का भ्रमण-पूर्व सर्वेक्षण, पोत पर कनेक्शन लगाने अथवा कनेक्शन हटाने की सेवाओं और कंटेनरों की सफाई वैकल्पिक सेवाएं हैं और इन्हें अनुरोध करने पर प्रदान किया जाएगा ।

3.10. **शटआऊट कंटेनर/कंटेनरों के पुनःनामांकन के लिए प्रभार**

| | विदेशगामी पोत अमरीकी डॉलर | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| **प्रति कंटेनर** | | |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक नहीं | 24.45 | 1026.90 |
| - लंबाई में 20' फुट से अधिक और 40' फुट तक | 36.69 | 1540.98 |
| - लंबाई में 40' फुट से अधिक | 48.91 | 2054.22 |

टिप्पणीः उपरोक्त प्रभार वहां लागू होंगे, जहां -

(i) कोई निर्यात कंटेनर अथवा पोतांतरण कंटेनर अथवा पुनःनिर्यात कंटेनर शटआऊट किया जाता है और तत्पश्चात सीआईटीपीएल के बाहर सुपुर्द किया जाता है ।

(ii) जब कंटेनर एक पोत द्वारा शटआऊट और तत्पश्चात दूसरे द्वारा उसका पोतलदान किया जाता है, घाट क्रेन द्वारा प्रहस्तन के लिए प्रभार के अतिरिक्त प्रभार वसूल किए जाएंगे। इस मामले में पहली बार कंटेनर प्राप्त होने के समय से खंड 3.11 के अनुसार कंटेनर को निःशुल्क भंडारण अवधि प्रदान की जाएगी। अगर निःशुल्क भंडारण अवधि अधिक हो जाती है तो भंडारण प्रभार निःशुल्क अवधि के समाप्ति के बाद उठाए जाने के समय तक परिकलित किया जाएगा ।

3.11. **कंटेनर के भंडारण के लिए प्रभार**

| **क्र०सं०** | **विवरण** | **विदेशगामी पोत प्रति दिन अथवा उसके भाग के लिए प्रति कंटेनर दर (अमरीकी डॉलर)** | | | **तटीय पोत प्रति दिन अथवा उसके भाग के लिए प्रति कंटेनर दर (रुपए)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **20 फुट तक** | **20 फुट से अधिक और 40 फुट तक** | **40 फुट से अधिक** | **20 फुट तक** | **20 फुट से अधिक और 40 फुट तक** | **40 फुट से अधिक** |
| **1.** | **आयात-एफसीएल,एलसीएल और खाली** | | | | | | |
| | 0-3 दिन | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| | 4-15 दिन | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 231.00 | 462.00 | 693.00 |
| | 16-30 दिन | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 462.00 | 924.00 | 1386.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 दिन से अधिक | 22.00 | 44.00 | 66.00 | 924.00 | 1848.00 | 2772.00 |
| **2.** | **निर्यात-एफसीएल,एलसीएल और खाली** | | | | | | |
| | 0-7 दिन | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| | 8-15 दिन | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 231.00 | 462.00 | 693.00 |
| | 16-30 दिन | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 462.00 | 924.00 | 1386.00 |
| | 30 दिन से अधिक | 22.00 | 44.00 | 66.00 | 924.00 | 1848.00 | 2772.00 |
| **3.** | **आईसीडी-आयात और निर्यात भरा और खाली** | | | | | | |
| | **पहले 10** दिन | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| | 11-30 दिन | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 231.00 | 462.00 | 693.00 |
| | 31-45 दिन | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 462.00 | 924.00 | 1386.00 |
| | 45 दिन से अधिक | 22.00 | 44.00 | 66.00 | 924.00 | 1848.00 | 2772.00 |
| **4.** | **पोतांतरण-भरा और खाली** | | | | | | |
| | पहले 30 दिन | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| | 31-45 दिन | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 231.00 | 462.00 | 693.00 |
| | 46-60 दिन | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 462.00 | 924.00 | 1386.00 |
| | 60 दिन से अधिक | 22.00 | 44.00 | 66.00 | 924.00 | 1848.00 | 2772.00 |
| **5.** | **शटआऊट-भरा और खाली** | | | | | | |
| | पहले 15 दिन | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 231.00 | 462.00 | 693.00 |
| | 16-30 दिन | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 462.00 | 924.00 | 1386.00 |
| | 30 दिन से अधिक | 22.00 | 44.00 | 66.00 | 924.00 | 1848.00 | 2772.00 |

3.12.1. कंटेनर के लिए भंडारण अवधि उतराई के दिन के बाद वाले दिन से लदान/सुपुर्दगी/कंटेनर हटाने के दिन तक मानी जाएगी ।

3.12.2. निःशुल्क अवधि के परिकलन के प्रयोजनार्थ रविवार, सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के अकार्य दिवसों को छोड़ दिया जाएगा ।

3.12.3. भंडारण प्रभार उस अवधि, जिसके दौरान सीआईटीपीएल प्रयोक्ता द्वारा अनुरोध करने पर कंटेनरों की सुपुर्दगी/पोतलदान करने की स्थिति में नहीं है, के लिए उपार्जित नहीं होगा।

3.12.4. पोतांतरण कंटेनर, जिसकी स्थिति बाद में स्थानीय एफसीएल/एलसीएल/आईसीडी में परिवर्तित की जाती है, को रिआयती भंडारण प्रभार लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार संगत आयात कंटेनर भंडारण प्रशुल्क के समरूप वसूल किया जाएगा।

3.12.5. खतरनाक कंटेनर के लिए भंडारण प्रभार जैसा ऊपर दिया गया है, संबंधित स्लैब के अधीन 25% अधिक होगा।

3.12.6. पवन चक्की के बक्सों सहित सामान्य आकार से बड़े आकार वाले कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार, ऊपर दिए गए संबंधित स्लैब के अधीन संबंधित कंटेनर द्वारा कब्जा किए गए स्थान की वास्तविक संख्या पर आधारित होगा।

3.12.7. ऊपर खंड 1.21 में स्पष्ट किए गए के अनुसार, यदि मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के अधीन सुपुर्दगी के लिए अभिप्रेत बॉक्स टर्मिनल पर उनके उतरने के 3 दिनों के भीतर नहीं हटाए जाते हैं, तो इन बॉक्सों को नामोदिष्ट एसीपी आयात चट्टा क्षेत्र से सामान्य आयात चट्टा क्षेत्र में अंतरित कर दिया जाएगा, जिस मामले में यथा लागू अतिरिक्त उठाने/रखने और/अथवा अंतरण प्रभार प्रभार्य होगा।

3.12.8. आईसीडी कंटेनरों के मामले में निर्धारित निःशुल्क अवधि और भंडारण दरें केवल रेल द्वारा आईसीडी से/तक जाने वाले कंटेनरों के आवागमन के लिए ही लागू होंगी ।

3.12.9. एलसीएल अथवा आईसीडी में बाद में परिवर्तित होने वाले सामान्य आयात कंटेनरों को स्थानीय एफसीएल कंटेनरों पर लागू

निःशुल्क अवधि का लाभ मिलेगा ।

3.12.10. शटआऊट कंटेनर के लिए कुल भंडारण अवधि उस दिन, जब कंटेनर शटआऊट हो गया है, के बाद वाले दन से पोतलदान/सुपुर्दगी के दिन तक परिकलित की जाएगी ।

3.12.11. परित्यक्त एफसीएल कंटेनर/पोतवणिक के स्वामित्व वाले कंटेनर पर भंडारण प्रभार लिखित में परित्यक्त करने की सूचना की प्राप्ति की तारीख अथवा कंटेनर के उतरने की तारीख से 75 दिनों, इनमें से जो भी पहले हो, तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लगाया जाएगा :-

(i) परेषिती किसी भी समय परित्यक्त करने का पत्र जारी कर सकता है ।

(ii) अगर परेषिती परित्यक्त करने का ऐसा पत्र जारी नहीं करना चाहता है, तो कंटेनर एजेंट/मेन लाइन आपरेटर (एमएलओ) इस शर्त के अधीन परित्यक्त करने का पत्र जारी कर सकता है कि;

(क) लाइन कार्गो के साथ कंटेनर की अभिरक्षा आरंभ करेगा और या उसे वापस लेगा या पत्तन परिसर से हटाएगा; और

(ख) लाइन कंटेनर की अभिरक्षा पुनः लेने के पूर्व कार्गो और कंटेनर पर उपार्जित सभी पत्तन प्रभारों का भुगतान करेगा ।

(iii) कंटेनर एजेंट/मेन लाइन आपरेटर (एमएलओ) आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा और ढुलाई तथा खाली करने की लागत का वहन करेगा। निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करने में उनके विफल रहने के मामले में कंटेनर पर भंडारण प्रभार कार्गो को खाली करने के लिए शिपिंग लाइन द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने तक लगाया जाता रहेगा।

(iv) जहां कंटेनर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त किया जाता है और उसे 75 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली नहीं किया जा सकता है, तो लाइन द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और ढुलाई और खाली करने की लागत का वहन किए जाने के अधीन सीमाशुल्क द्वारा कार्गो को निर्मुक्त करने की तारीख से भंडारण प्रभार लागू होना समाप्त हो जाएगा। अन्यथा जब्त कंटेनरों को लाइनों/परेषिती द्वारा पत्तन परिसर से सीमाशुल्क आबद्ध क्षेत्र तक हटाया जाना चाहिए और उस मामले में भंडारण प्रभार ऐसे हटाने की तारीख से लागू होना समाप्त हो जाएगा।

3.12.12. निर्यात कंटेनरों के लिए स्थान पोत के साप्ताहिक आगमन के लिए 7 दिनों और पोत के सप्ताह में दो बार आगमन के लिए 5 दिनों के लिए आरक्षित होगा ।

3.12.13. **विविध प्रभार**

| **क्र०सं०** | **विवरण** | **प्रति कंटेनर दर (रुपए)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **लबाई में 20 फुट से अधिक नहीं** | **लंबाई में 20 फुट से अधिक और 40 फुट तक** | **लंबाई में 40 फुट से अधिक** |
| (i) | सील लगाना/हटाना | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| (ii) | कंटेनर यार्ड में उठाना/रखना | 707.85 | 1061.78 | 1415.70 |
| (iii) | टर्मिनल के भीतर अंतरण के लिए प्रभार | 965.25 | 1447.88 | 1930.50 |
| (iv) | पीओडी परिवर्तन | 965.25 | 1447.88 | 1930.50 |
| (v) | अतिरिक्त ढुलाई-टर्मिनल से रेल अथवा रेल से टर्मिनल/अतिरिक्त ढुलाई/परिवर्तन के लिए प्रभार | 965.25 | 1447.88 | 1930.50 |
| (vi) | कंटेनर की स्थिति की रेल से सड़क में अथवा विलोमतः परिवर्तन | 965.25 | 1447.88 | 1930.50 |
| (vii) | विशेष वीआईएएन के लिए प्रवेशद्वार निर्धारित समय के | 965.25 | 1447.88 | 1930.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | बाद टर्मिनल में आने वाले निर्यात कंटेनरों के लिए प्रभार | | | |
| (viii) | खतरनाक स्टिकर लगाना/हटाना(प्रति कंटेनर) | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| (ix) | प्रति कंटेनर एक द्वार खुलने का प्रभार | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| (x) | दस्तावेजों को रद्द करना-प्रति ईआईआर | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| (xi) | खतरनाक और सामान्य आकार से बड़े कंटेनरों की घोषणा नहीं करना/गलत घोषणा करना | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
| (xii) | ऑन-व्हील सीमाशुल्क निरीक्षण (प्रति कंटेनर) | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| (xiii) | तम्बाकू के कंटेनरों का धूम्रीकरण | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| (xiv) | टर्मिनल के भीतर बांधने के बीन्स की ढुलाई के लिए फोर्क लिफ्ट प्रभार (प्रति बीन बांधने के लिए) | 110.00 | 110.00 | 110.00 |

टिप्पणी : (i) रद्द करने का प्रभार तब लागू होता है, जब ग्राहकों के अनुरोध पर ईआईआर रद्द किया जाता है ।

(ii) 'एक द्वार खुला' का प्रभार उस कंटेनर के प्रहस्तन के लिए है, जिसे केवल एक द्वार खोलने की ही अपेक्षा होती है और जब खोलना और बंद करना टर्मिनल में किया जाता है ।

(iii) 'सील लगाना' टर्मिनल में रेल/सड़क/समुद्री मार्ग से उतार उचित बॉटल सील के बिना आने वाले प्रत्येक कंटेनर पर प्रवेश करने की अनुमति देने के पूर्व बॉटल सील लगाई जाएगी । इसे शिपिंग लाइन की लिखित सहमति के बिना किया जाएगा । ऐसे कंटेनरों, जिन पर टर्मिनल द्वारा सील लगाई जाती है, की सूची लाइन को सूचित की जाएगी ।

(iv) 'खतरनाक का स्टिकर लगाना/हटाना' आईएमसीओ श्रेणी दर्शाते हुए खतरनाक का स्टिकर खतरनाक कार्गो का वहन करने वाले कंटेनर पर लगाया जाएगा। इसी प्रकार कंटेनर पर पुराने स्टिकरों को गैर-खतरनाक कार्गो का वहन करने वाले कंटेनरों से हटा दिया जाएगा। दोनों मामले में, ग्राहक को टर्मिनल के भीतर उक्त कार्यकलाप करने के लिए सीआईटीपीएल को लिखित सूचना देनी होगी।

(v) 'ऑन-व्हील सीमाशुल्क निरीक्षण' किसी कंटेनर का 'ऑन व्हील' निरीक्षण ग्राहक के लिखित अनुरोध पर केवल नामांकित स्थान पर अनुमत्य होगा । कंटेनर के द्वार केवल सीमाशुल्क के पर्यवेक्षण में खोले जा सकते हैं । टर्मिनल के परिसर के भीतर यहां तक कि आंशिक रूप से भरने/खाली करने की अनुमति नहीं होगी ।

(vi) टर्मिनल से रेल साइडिंग तक अथवा रेल साइडिंग से टर्मिनल तक का अतिरिक्त आवागमन सीआईटीपीएल द्वारा संचलित आईसीडी कंटेनर के लिए लागू होगा ।

(vii) खतरनाक कंटेनर की घोषणा नहीं करना/गलत घोषणा करना - ग्राहक को आईएमसीडी नियमों के अनुसार खतरनाक प्रकृति के कार्गो की घोषणा और सीआईटीपीएल को खतरनाक कार्गो के संगत ब्योरे प्रस्तुत करने होते हैं । उपरोक्त प्रभार केवल कंटेनर की खतरनाक प्रकृति की घोषणा नहीं करने/गलत घोषणा करने के लिए है ।

तथापि, गलत घोषणा के अथवा घोषणा नहीं करने से उत्पन्न परिणाम के लिए देयता और लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी ।

**3.13. कंटेनर बर्थ के साथ-साथ लगे जहाज को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए प्रभार**

| | विदेशगामी पोत अमरीकी डॉलर | तटीय पोत रुपए |
|---|---|---|
| प्रति 1000 लीटर अथवा उसके भाग के लिए | 7.47 | 313.74 |

**3.14. पोत पर कूड़ा-कर्कट हटाने के लिए प्रभार**

| | रुपए |
|---|---|
| प्रति 1/2 घनमीटर बोरी | 257.40 |